प्रेस नोट संख्या- 11
दिनांक 06.04.2026
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
"ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत थाना अमेठी पुलिस द्वारा लूट का खुलासा
मोबाइल व मोटरसाइकिल की चाभी लूटकर भागने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
कब्जे से लूट का 01 अदद मोबाइल व मोटरसाइकिल की चाभी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत दिनांक 06.04.2026 को थाना अमेठी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों 01. शिवम शुक्ला पुत्र घनश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खजुरी थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष 02. प्रज्वल प्रताप सिंह उर्फ पीयूष सिंह उर्फ नरसिंह निवासी ग्राम धमरांवा भगनपुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त शिवम शुक्ला के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं अभियुक्त प्रज्वल प्रताप सिंह के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल की चाभी व 01 अदद वीवो मोबाइल बरामद हुआ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो लोग दिनांक 02.04.2026 को गुंगवाछ चौराहे के पास खड़े 01 लड़के को तमंचे से डराकर उसकी मोटरसाइकिल की चाभी व उसका मोबाइल छीनकर भाग गये थे। मोटरसाइकिल के कागजात मांगने पर दिखा न सके व अभियुक्तों द्वारा इसी मोटरसाइकिल सं0 यूपी 36 एक्स 1156 को प्रयोग घटना में किया गया था। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपर्युक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

01. शिवम शुक्ला पुत्र घनश्याम शुक्ला निवासी ग्राम खजुरी थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष।
02. प्रज्वल प्रताप सिंह उर्फ पीयूष सिंह उर्फ नरसिंह निवासी ग्राम धमरावां भगनपुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

01. लूट का 01 अदद वीवो मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल की चाभी।
02. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 75/26 धारा 309(2),317(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना व जनपद अमेठी।
- घटना में प्रयुक्त टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल सं0 यूपी 36 एक्स 1156 (207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 शस्त्राजीत प्रसाद थाना व जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अवधेश पाण्डेय थाना व जनपद अमेठी।
4. हे0का0 राजेन्द्र यादव थाना व जनपद अमेठी।
5. का0 विनोद मौर्या थाना व जनपद अमेठी।
6. का0 कमलकान्त थाना व जनपद अमेठी।